तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी
17/3/2021	वकील ~~फरीकेन~~ उपस्थित। पत्रावली मे निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी :— देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
10/2020	2020/00057	24.06.2020

1. मुसम्मात सुगनी वेवा आयु 65 पत्नि परमा
2. इमरत लाल आयु 32 पुत्र परमा
3. गोपाल लाल पुत्र परमा
4. पिन्टू पुत्र श्याम लाल आयु 12 साल नाबालिग वली कुरदती सूरज वाई बेवा श्यामलाल माता खुद सभी जातियान माली निवासीयान कस्वा करौली तहीसली करौली जिला करौली (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भगवती पुत्र कलुआराम आयु 80
2. श्यामलाल पुत्र रघुनाथ आयु 45 जातियान कोली निवासीयान करौली।
3. फूलसिंह पुत्र कमल सिंह आयु 45 जाति गुर्जर निवासी होली खिडकीया बाहर करौली तहसील करौली व जिला करौली।
4. प्रेमसिंह पुत्र भौरया आयु 55
5. मुहरवाई वेवा पत्नि भौरया आयु 70 जातियान कुम्हर निवासीयान होली खिडकिया करौली तहसील करौली व जिला करौली।
6. नरेश कुमार पुत्र विनोद कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी करौली

प्रतिवादीगण

बादपत्र हुक्म इम्तनाई दवामी व हटाये जाने निर्माण

निर्णय

दिनांक 17.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि कस्वा करौली तहसील करौली जिला करौली में आराजी खसरा नम्बर 6311 रकवा 1 वीधा 11 विस्वा पर वादीगण सन् 1992 से लगातार वास्तविक कब्जे काश्त में चले आ रहे है। और आजतक कब्जे में है। तथा 3/4 हिस्से की हकूक खातेदारी है तथा शेष 1/4 हिस्से की भूमि पर भी वादीगण का वास्तविक कब्जा वतौर मुर्श्तका खातेदार ही है। जिसकी जमाबन्दी वादपत्र के साथ सलंग्न है। शेष 1/4 हिस्से के सम्बन्ध में प्रेम पुत्र भोरया एवं हरिवाई वेवा भौरया जाति कुम्हार के जमाबन्दी में इन्द्राज रह जाने से नियत में वदयान्ती आ गयी और वे वरविनाया वदयान्ती प्रतिवादीगण को अवैध रूप से हस्तान्तरण करने का प्रयास कर है जो स्टेन्जर (अजनबी) है तथा उक्त अवैध हस्तान्तरण बताते हुए प्रतिवादीगण भूमि पर वादीगण के मुर्शतका कब्जे काश्त पर व्यवधान डालने के लिए दिनांक 23.05.2[illegible] [illegible]लानिया धमकी दे रहे है वादीगण निर्बल अनपढ कृषक है उनके [illegible] आधार पर बगैर किसी अधिकार के जमीन पर वादीगण के कब्जे में व्यवधान डालने [illegible] अपूर्णीय क्षति है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] पाबन्द कराने के अधिकारी है दिनांक 23.05.2007 दावा अन्दर म्याद पेश है। अन्त में दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी नं. 3 ने जवाव दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि वादीगण का कब्जा आराजी में व समूल चाह हिस्सा 3/4 में ही है जबकि आराजी के हिस्सा 1/4 व शमूल चाह के प्रारम्भ से ही पूर्व खातेदारान प्रेमसिंह व हरवाई प्रतिवादी न0 4 व5 का निरन्तर चला आ रहा है और शांति पूर्वक काबिज रह कर काश्त करते आ रहे थे प्रतिवादी न0 4 व 5 द्वारा अपना हिस्सा 1/4 जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.03.2007 द्वारा प्रतिवादी न0 3 को विल एवंज 1,51000/– रूपये में कर कब्जा वाकई प्रतिवादी न03 को संभलवा दिया जिसका सम्पूर्ण ज्ञान वादीगण को रहा है वादीगण ने कभी भी काई आपत्ति प्रतिवादी न03 को नही बताई वक्त खरीद से ही प्रतिवादी न0 3 अपने 1/4 व समूल चाह पर शाति पूर्वक काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है वाद खरीद आराजी की खातेदारी हिस्सा 1/4 प्रतिवादी न03 को प्राप्त को चुकी है जिस पर वादीगण को कोई आपत्ति करने का कानूनी तौर पर हक नही है 1/4 हिस्सा पर वादीगण का कभी किसी प्रकार का कोई तालुक ही नही रहा प्रतिवादी न04 व 5 द्वारा प्रतिवादी न03 को किये गये हस्तान्तरण का प्रारम्भ से ही पूर्ण ज्ञान रहा है और उसके द्वारा कभी कोई आपत्ति ना तो गई ना ही आपत्ति करने का उसे कोई अधिकार था, वादीगण द्वारा वरविनाय वदयन्ति यह झूठा दावा पेश कर दिया है वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति होने का कोई कारण नही है इसके विपरीत प्रतिवादी न03 के हिस्सा 1/4 में वादीगण का मदाखलत बेजा करने से प्रतिवादी न03 को अपूर्णीय क्षति है और प्रतिवादी न03 वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। वादीगण को कोई वादकरण प्रतिवादी न03 ता 5 के विरूद्व पैदा नही हुआ है। आराजी में संयुक्त खातेदौरान द्वारा हिस्सा राशि खर्च कर चाह खुदवाया और वाहमी रजाबंदी से मौके पर किये वटवारे के आधार पर आराजी के अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहा कर काश्त करते चले आ रहे थे प्रतिवादी न0 4 व 5 ने जायज घरू आवश्यकता की पूर्ति हेतु आराजी में अपना 1/4 हिस्सा मय चाह प्रतिवादी न03 को हस्तान्तरित कर दिया एवं मौके पर प्रतिवादी न03 का पूर्व की भांति कब्जा करा दिया वक्त खरीद से प्रतिवादी न03 काबिज चला आ रहा है। वादीगण लडाकू सहजोर किस्म के व्यक्ति है। जमीनों की कीमते बढ गई है और उनके मन में वदयन्ति आ रही है और झूठा दावा दायर कर दावे की आड में प्रतिवादी न03 को उसके कब्जे काश्त में मदाखलत करना चाहते हैं अगर वादीगण अपने मकसद में कामयाव हो गये तो प्रतिवादी न03 को अपने हक हकूक से वंचित होना पडेगा और प्रतिवादी न03 को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादी न03 वादीगण को स्थाई निषेधाझा से काउण्टर क्लेम के द्वारा पाबन्द कराने का अधिकारी है। अन्त में काउण्टर क्लेम ड्रिकी किये जाने व दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी न0 4 व 5 ने ज़बाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 6311 कस्वा करौली में प्रतिवादी न0 4 व 5 का 1/4 हिस्सा रहा है जिस पर वादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा कभी नही रहा है प्रतिवादी न0 4व 5 द्वारा अपना हिस्सा 1/4 व समूल चाह प्रतिवादी न03 को विल एंवज 151000/– रूपये में वय कर कर कब्जा प्रतिवादी न03 का करा दिया है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी न03 को प्राप्त को चुकी है। जिस पर कब्जा बनाये रखने का प्रतिवादी न03 को पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी न0 1 व 2 अन्यथा वादीगण का हस्तान्तरित आराजी पर कोई अधिकार नही रहा है। वादीगण को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति करने का अधिकार नही है। प्रतिवादी न0 4 व 5 [illegible] से कोई सम्बन्ध नही रहा है, उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी न0 4 व 5 द्वारा हिस्सा राशि खर्च कर पुख्ता चाह तैयार कराया जिससे संयुक्त खातेदारान अपने–अपने हिस्से की भूमि की आवपाशी करते आ रहे है प्रतिवादी न0 4 व 5 को [illegible] बनाया है। जिसके लिए प्रतिवादी न0 4 व 5 विशेष हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अन्त में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादीगण ने जबाव काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि काउण्टर क्लेम गलत है स्वीकार नही है सम्पूर्ण विवादित भूमि पर वास्तविक कब्जा वर्षो से वादीगण का चला रहा है। मौके पर वादीगण के रिहायशी घर बने हुये है जहाँ वे रहकर समस्त भूमि को काश्त कर रहे है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। वादीगण को विक्रय की कोई व खरीद की कोई जानकारी नही है। तथा इस तरह की खरीद दारी वगैर किसी बदल के भूमाफियों के इरादे पर की गयी हो सकती है। जिससे वादीगण के प्रत्येक इंच पर वास्तविक कब्जे पर कोई प्रभाव नही पडता है वादीगण को प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का पूर्ण अधिकार है। और प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे में व्यवधान करने का अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि का कोई वहागी बटवारा नही हुआ है। ना ही मौके पर विवादित भूमि के हिस्से हो रहे है। प्रतिवादी न0 4 व 5 कभी भी विवादित भूमि के किसी भी भाग पर तन्हा काबिज नही रहे है प्रतिवादी न0 3 ने भूमि के किसी भी भाग को रेखाकित नही किया है जिस पर उसका वाहिद कब्जा हो इससे स्पष्ट है कि भूमि प्रतिवादी न0 4 व 5 का वादीगण के बीच कभी भी बटवारा नही हुआ प्रतिवादी न03 की आड में भूमाफिया ताकत के बल पर वादीगण से जमीन छीनना चाहते है जिसके बारे में वादीगण की ओर से कई बार जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक करौली व थाने में शिकायत की जा चुकी है। कानूनन प्रतिवादी न03 द्वारा खरीद मानने की अवस्था में भी यह अजनवी है और वादीगण समस्त विवादित भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जे में होने से प्रतिवादी न03 को विवादित भूमि के किसी भी भाग पर कब्जे काश्त में व्यवधान डालने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण वादीगण को पावन्द कराने का किसी प्रकार से अधिकारी नही है। अन्त में काउण्टर क्लेम खारिज किये जाने व दावा वादीगण ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दु विरचित किये गये।

1. आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 6311 रकवा 1 वीधा 11 विस्वा पर 1992 से लगातार वास्तविक कब्जे काश्त में चले आ रहे है 3/4 हिस्से का खातदार व 1/4 पर मुर्शतका काश्तकार है।

   –वादीगण

2. आया उक्त विवादित आराजी के मुर्शतका कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण व्यवधान डालने पर उतारू है इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है।

   –वादीगण

3. आया प्रतिवादी संख्या 3 काउण्डर क्लेम अनुसार ड्रिकी प्राप्त करने का अधिकारी है।

   –प्रतिवादी

4. अनुतोष

वाद विवाधक विन्दु वादीगण साक्ष्य ली गयी वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पी.डब्लू.1 सुगनी व गवाह पी.डब्लू.2 किरोडी के वयान लेखवद्व कराये एवं दस्तावेजी सवूत में नकल जमाबन्दी सम्बत 2060 से 2063 प्रदर्श –1 को प्रदर्शित किया है साक्ष्य वादीगण समाप्त की गयी।

प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य मे प्रतिवादी न03 फूल के वयान लेखवद्व करॉये हैं अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण वन्द की गयी वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का कहना है कि आराजी खसरा नम्बर 6311 रकवा 1 वीधा 11 विस्सा कस्वा करौली पर वादीगण 1992 से लगातार वास्तविक कब्जा काश्त में चले आ रहे है और जिसकी जमाबन्दी सम्बत 2060 से 2063 प्रर्दश–1 प्रस्तुत की है 3/4 हिस्से के वादीगण खातेदार काश्तकार है शेष 1/4 हिस्से के सम्बन्ध में प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 के जमाबन्दी में इन्द्राज रहजाने से नियत में वदयन्ति आ गयी है और वे प्रतिवादीगण को अवैध रूपसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(5)

हस्तान्तरण का प्रयास कर रहे है जो अजनवी है और प्रतिवादीगण भूमि पर वादीगण के मुश्तर्क कब्जे काश्त पर व्यवधान डालने को दिनांक 23.05.2007 से ऐलानिया धमकी दे रहे है,वादीगण कमजोर अनपढ कृषक है प्रतिवादीगण के ताकत के वल पर वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान डालने से वादीगण को अपूर्णिय क्षति है। अवैध हस्तान्तरण की वादीगण को जानकारी नही है। भूमि का वाहमी वटवारा नही हुआ है इंच–इंच भूमि पर वादीगण का मुश्तर्क कब्जा काश्त है। प्रतिवादी न03 द्वारा खरीद मानने की अवस्था में भी वह अजनवी है और वादीगण के किसी भी भाग पर कब्जे में होने से कब्जे काश्त में व्यवधान डालने का अधिकार नही है वादीगण की रिहायशी मकानियात वनी हुयी है जिसमें रहकर समस्त भूमि को काश्त कर रहे है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार है प्रतिवादीगण वादीगण को अजनवी होने से पाबन्द कराने हकदार नही है। दावा वादीगण ड्रिकी जिया जावें। तथा काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण न03 खारिज किया जावें।

वकील प्रतिवादीगण का वहस में कथन है कि वादीगण भूमि के व समूल चाह 3/4 हिस्सा पर कब्जा है 1/4 हिस्सा पर प्रेम वहरवाई का व समूल चाह के प्रारम्भ से ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रतिवादी न0 4 व 5 ने अपना हिस्सा 1/4 जरिये रजिस्र्ड वयनामा प्रतिवादी न05 को विक्रय कर दिया है और 1,51000/– रूपये विक्रय कीमत प्राप्त कर कब्जा प्रतिवादी न03 को सभलाया दिया है। प्रतिवादी न03 द्वारा भूमि प्रतिवादी न06 को विक्रय कर दी है। जिसका पूर्ण ज्ञान वादीगण को है। वादीगण ने कोई आपप्ति कभी प्रतिवादी न03 को नही बताई वक्त खरीद से ही प्रतिवादी न03 भूमि के 1/4 हिस्सा व शमूल चाह पर काबिज काश्त है। भूमि का मौके पर वाहमी वटवारा पूर्व से हो रहा है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नही है। वादीगण लडाकू सहजोर किस्म के व्यक्ति है जमीनों की कीमतों वढ गई है और वादीगण के मन में वदयन्ति आ रही है और झूठ दावा कर दावे की आड में प्रतिवादी न03 को उसके कब्जे काश्त में मदाखलत करना चाहते है जिससे प्रतिवादी न03 को हकूकों से वंचित होना पडेगा जिससे प्रति न03 को अपूर्णिय स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का हकदार है। दावा वादीगण खारिज किया जावें। काउण्टर क्लेम प्रति0 न03 ड्रिकी किया जावें।

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया । पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व साक्ष्य का मनन किया गया प्रकरण का तनकीवार विवेचन कर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। तनकीवार निवेचन निम्न प्रकार है:–

विवाधक संख्या 01 को सावित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने इस सम्बन्ध में वादग्रस्त भूमि की नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 प्रर्दश–1 प्रस्तुत की है और भूमि पर मौखिक साक्ष्य में भूमि पर अपना कब्जा होना वताया है। जिरह में प्रतिवादी न04 व 5 का /14 हिस्सा होना व इनके द्वारा 1/4 हिस्सा को प्रतिवादी न03 को विक्रय करना व प्रतिवादी न0 3 के हक मे खातेदारी प्रर्दश–01 में होना स्वीकार किया है जिसके खण्डन में प्रतिवादी न03 ने भूमि पर हिस्सा 1/4 पर कब्जा होना अपनी मौखिक साक्ष्य में कथन किया है। प्रस्तुत जमावन्दी प्रर्दश–1 से वादीगण व प्रतिवादी न03 का खातेदार दर्ज है वादीगण का 3/4 हिस्सा है प्रतिवादी न0 3 का 1/4 हिस्सा है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। अतः विवाधक संख्या 01 वादीगण के पक्ष में 3/4 हिस्सा [illegible] हद तक निर्णित किया जाता है। इसी अनुसार मुर्शतका कब्जा संयुक्त तय [illegible] जाता है।

विवाधक संख्या 02 को सावित करने का भार भी वादीगण पर है। वादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत [illegible] वादीगण व प्रतिवादीगण भूमि के सहखातेदार होना प्रकट है भूमि के [illegible] के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज स्वतंत्ररूप से प्रस्तुत नही किये है पी.डब्लू.–1 सुगनी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(5)

अपनी जिरह में अतिंम लाईन में स्वीकार किया है में भूमाफियों वे संरक्षण में प्रतिवादी न03 की जमीन हडपना चाहती हू जो प्रतिवादी न03 के अभिवचनों की स्वीकारोक्ति है वादीगण प्रतिवादी न03 के विरूद्व कोई स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय से प्राप्त कराने की हकदार नही है विवाधक संख्या 02 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाधक संख्या 03 को सावित करने का भार प्रतिवादी न03 पर है प्रतिवादी न03 द्वारा मौखिक साक्ष्य में बताया है कि वादीया प्रतिवादी न03 की भूमि को हडपना चाहती है। वादीगण द्वारा 1/4 हिस्सा भूमि का कोई वयनामा व दस्तावेज प्रतिवादी न0 4 व 5 से खरीद किये जाने का प्रस्तुत नही किया है। 1/4 हिस्सा प्रतिवादी न03 के खातेदारी में जमाबन्दी प्रदर्श–1 में दर्ज है जिसे उसने प्रतिवादी न06 नरेश को विक्रय कर दिया है। प्रति0 न06 पक्षदार दावे में बनाया गया है। जिसनें वयनामा की फोटो प्रति पत्रावली में प्रस्तुत की है प्रतिवादी न03 को वादीगण द्वारा भूमि के 1/4 हिस्सा के कब्जे काश्त में व्यवधान करना अपनी मौखिक साक्ष्य में बताया है यदि वादीगण द्वारा प्रति0 न3 के कब्जे काश्त में व्यवधान किये जाने पर प्रतिवादी न03 के हको पर आधात होगा। और अपूर्णिय क्षति होना प्रकट होता है।

प्रतिवादी न03 से 6 वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करानें कें हकदार है। विवाधक संख्या 03 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादी न0 3 व6 के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है

विवाधक संख्या 4 अनूतोष है विवाधक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से वादीगण अपने वाद को सावित करने में असफल रहे है प्रतिवादी न03 द्वारा काउण्टर क्लेम को अपनी मौखिक साक्ष्य व वादीया सुगनी के जिरह में उसके द्वारा प्रति0 न03 के हिस्से की भूमि को भूमाफियों के सरक्षंण में हडपना चाहती हूँ की स्वीकारोक्ति से सावित होता है कि वादीगण प्रतिवादी नं. 3 के कब्जे काश्त की भूमि को छीनना व कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करना चाहते है प्रतिवादी न03 वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करांने के अधिकारी है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। काउण्डर क्लेम प्रतिवादी न03 ड्रिकी किया जाता है वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 6311 रकवा 1 वीधा 11 विस्वा कस्वा करौली तहसील करौली के प्रतिवादी न03 व 6 के 1/4 हिस्सा भूमि व शमूल चाह के कब्जा काश्त में मदाखलत मजाहमत नही करे ना किसी दीगर से करावें। खर्चा पक्षकरान अपना व अपना वहन करेंगें। तददानुसार पर्चा ड्रिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया जावें।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner